प्रेस विज्ञप्ति
06.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5(1) के तहत दिनांक 04.02.2026 को अनंतिम कुर्की आदेश संख्या 04/2026 जारी किया है, जिसके तहत अपराध की आय के समतुल्य मूल्य के रूप में लगभग 7.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इनमें कोझिकोड जिले की कई जमीनें शामिल हैं, जो मुख्य रूप से मूसा हाजी चरपरम्बिल के नाम पर हैं।

ईडी ने अपराध शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, केरल पुलिस, कोझिकोड और वायनाड द्वारा आईपीसी, 1860 की धारा 406 और 420 के तहत दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इन एफआईआर में अपोलो गोल्ड समूह की संस्थाओं, जिनमें अपोलो गोल्ड, अपोलो ज्वैलरी, ज़ेला डायमंड्स और संबंधित फर्म शामिल हैं, द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।

मूसा हाजी चरपरम्बिल, सबिथ के और अन्य निदेशकों/साझेदारों सहित आरोपियों ने जमाकर्ताओं को उच्च प्रतिफल का वादा करके स्वर्ण जमा योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। कॉर्पोरेट और शाखा कार्यालयों से कुल 130 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि एकत्र की गई, लेकिन वापस नहीं की गई, और कई संस्थाओं में हेराफेरी के माध्यम से इसका दुरुपयोग किया गया, जिससे 118 करोड़ रुपये की अपराध की आय अर्जित हुई।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत अनुसूचित अपराध होने के कारण 13.03.2024 को पीएमएलए के तहत जांच शुरू की गई। पीएमएलए की धारा 50 के तहत जमाकर्ताओं और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिन्होंने धोखाधड़ी वाली योजनाओं, भुगतान न करने और धन की हेराफेरी की पुष्टि की। ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों और जमा सूचियों का विश्लेषण किया गया, जिससे साझेदारों को दिए गए असुरक्षित ऋण और अवैध धन से किए गए निवेशों का पता चला।

जांच में यह भी पता चला कि मूसा हाजी चरपरम्बिल ने अपराध से प्राप्त 23 करोड़ रुपये की धनराशि विदेश में स्थानांतरित की है। इसके अलावा, उन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि अपने और अपने सहयोगियों के निजी बैंक खातों में स्थानांतरित की है।

अपराध से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का पता लगाने, और संपत्तियों की पहचान करने और अन्य संबंधित पक्षों का खुलासा करने के लिए जांच जारी है।